

**F.No. 6- 43/ANREGS/2009 - PR
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT**

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 2nd March, 2010

No. 59/2010/F.No. 6-43/ANREGS/2009-PR.— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 32 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 read with Notification No. SO 934 (E) dated 24.04.2008 issued by Govt. of India, Ministry of Home Affairs and consequent to amendment of the name of "The National Rural Employment Guarantee Act" as "The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act" by the National Rural Employment Guarantee (Amendment) Act, 2009 and in pursuance to letter No. J-11011/3/2009-NREGA dated 07.01.2010 of Govt. of India, Ministry of Rural Development, the Lt. Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands has been pleased to make the following amendments in the Andaman and Nicobar Rural Employment Guarantee Scheme, 2008 and Andaman and Nicobar Islands (Rural Employment Grievance Redressal Mechanism) Rules, 2009 namely :-

1. In the Andaman and Nicobar Rural Employment Guarantee Scheme, 2008, the words "The National Rural Employment Guarantee Act" shall be substituted as "The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act" and the words "Andaman and Nicobar Rural Employment Guarantee Scheme " shall be substituted as "The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Andaman and Nicobar Islands, 2008".
2. In the Andaman and Nicobar Islands (Rural Employment Grievance Redressal Mechanism) Rules, 2009, Rule I (1) shall be substituted as "Andaman and Nicobar Islands (Mahatma Gandhi National Rural Employment Grievance Redressal Mechanism) Rules, 2009".

By order and in the name of Lt. Governor, A & N Islands

Sd/-
(Sasikala Viswanathan)
Joint Secretary (RD)

अण्डमान तथा
Andaman And



निकोबार राजपत्र
Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 63, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 2 मार्च, 2010

No. 63, Port Blair, Tuesday, March 2, 2010

फा.सं. 6-43/ए.एन.आर.ई.जी.एस./2009-पी.आर.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 2 मार्च, 2010

सं. 59/2010/फा.सं.6-43/ए.एन.आर.ई.जी.एस./2009-पी.आर.— भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 24.4.2008 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 934 (ई) के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" के नाम में संशोधन कर "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" के नाम पर परिवर्तित किया जाये और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 7.1.2010 के पत्र सं.जे-11011/3/2009 एन.आर.ई.जी.ए. (नरेगा) के अनुसरण में, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान तथा निकोबार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 2003 और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, (ग्रामीण रोजगार शिकायत निवारण प्रक्रिया) नियमावली, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. अण्डमान तथा निकोबार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 2008 में "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जाए और "अण्डमान तथा निकोबार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" शब्द के स्थान पर "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, 2008 प्रतिस्थापित किया जाए ।"
2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (ग्रामीण रोजगार शिकायत निवारण प्रक्रिया) नियमावली, 2009 के नियम 1 (1) के स्थान पर "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार शिकायत निवारण प्रक्रिया) नियमावली, 2009" प्रतिस्थापित किया जाए ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह./-

(शशिकला विश्वनाथन)
संयुक्त सचिव (ग्रा. वि.)